न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 84/2025 G.C.M.S. No. 2025/463 दर्ज दिनांक : 10.07.2025

अपीलार्थिगण:

01. सावलाराम पुत्र गीगाराम जाति कलबी, निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

जैरूपाराम पुत्र हरदाजी के कायम मुकाम

1. वासुदेव पुत्र जेरूपा
2. रमेश कुमार पुत्र जेरूपा
3. सीमा पुत्री जेरूपा
4. मीरा पुत्री जैरूपा
5. मंजु पुत्री जेरूपा
6. बागी पुत्री जेरूपा
7. पुजा पुत्री जैरूपा
8. संगीता पुत्री जैरूपा उतरदाता संख्या 7 व 8 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती गीगी पत्नी जैरूपा
9. गीगीदेवी पत्नी जैरूपा जाति कलबी निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोड़ जिला सांचौर
10. खीमाराम पुत्र धनाजी
11. गजरोदेवी पत्नी गीगाराम
12. नवाराम पुत्री गीगाराम जाति कलबी निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बागोड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2019 बअनवान जैरूपा बनाम खीमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री सुरेन्द्र चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2019 बअनवान जैरूपा बनाम खीमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

01.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

उतरदाता संख्या 01 से 09 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद खातेदारी खेत का बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा नया मोरसीम तहसील में स्थित खसरा संख्या 1202 रकबा 9.55 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम है उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से के नाम से सयुक्त सामलाती दर्ज है। उक्त वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी हेतु पत्रावली निश्चित की गई। दिनांक 03.11.2020 की आदेशिका में प्रतिवादी की तलबी नहीं होने के बावजूद आर्डरशीट में अंकित कर दिया गया कि प्रतिवादीगण जवाब हेतु समय चाहते है तथा आवश्यक रूप से जवाब पेश की शर्त पर अंतिम अवसर दिया जाता है तथा इसी प्रकार दिनांक 15.12.2020 की आदेशिका में यह आर्डरशीट अंकित की गई कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नोटिस तामिल बाद प्राप्त हुए परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता जवाब हेतु समय चाहते है। तत्पश्चात प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा दिनाक 08.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 03.01.2025 की पेशी पर आदेशिका में यह अंकित वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री सादिर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने सहमति व्यक्त की। ऐसी स्थिति में विभाजन की प्राथमिक डिक्री सादिर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा ईकरारनामा की पालना करवाने बाबत् एक वाद श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल की न्यायालय में विचाराधीन है जब तक उक्त वाद पत्र का निस्तारण न हो तब तक इस में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही आलोच्य निर्णय व डिक्री जारी करने में कानून भूल की है। जवाबदावा प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली में विवाधक बिन्दु कायम किये जाते, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवाधक बिन्दु कायम किये ही प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अधीन्स्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2025 की आदेशिका में अंकित किया गया कि प्रतिवादी अधिवक्ता राहुल द्वारा प्रारम्भिक डिक्री बाबत् सहमति प्रदान की गई है जबकि अपीलकर्ता द्वारा अपनी ओर से पैरवी करने हेतु किसी राहुल नामक अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त करावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 09 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 को पारित करते समय न तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित थे और न ही प्रतिवादीगण अपीलकर्ता उपस्थित था तथा उनकी गैर हाजिर में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसकी जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी। अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान होने से उसकी नकल मिलने पर अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। अतः निर्णय दिनांक से इसकी जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन हेतु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 09 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति का अंकन आदेशिका में करते हुए इस आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा असालतन/वकालतन राजीनामा/सहमति निष्पादन बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है न ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति बाबत् अभिमत प्रकट करते हुए नाम व हस्ताक्षर किए गए है। प्रकरण में प्रतिवादी की और से कौन अधिवक्ता उपस्थित हुए और किनकी ओर से सहमति निष्पादित की गयी। इस बाबत् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई टिपण्णी नहीं की गयी है। दिनांक 03.01.2025 की आदेशिका में वकील वादीगण के हस्ताक्षर के साथ किसी राहुल का हस्ताक्षर है। उक्त राहुल कौन है। इस संबध में विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से दिनांक 10.12.2023 को धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं दिनांक 13.01.2023 को वादी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। जबकि अभिलेख अनुसार दिनांक 03.01.2025 लम्बित धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना एवं प्रकरण में दावा व जवाबदावा व प्रतिदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का उल्लघन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जो विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है।

6. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2019 बअनवान जैरूपा बनाम खीमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए लम्बित प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए प्रकरण में विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली